भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 708

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

जल निकायों की गणना

708. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में जल निकायों की गणना करवाई है;

(ख) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 91,000 जल निकाय है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लगभग 4,000 जल निकायों पर अतिक्रमण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार किस प्रकार राज्य सरकार को स्थानीय आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास और संधारणीय जल सुरक्षा के लिए जल निकायों के महत्व बारे में जागरूक कर रही है और उनसे अतिक्रमण हटा रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जी हां। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 के संदर्भ में 100% केंद्रीय सहायता के साथ केंद्र प्रायोजित योजना "सिंचाई गणना" के तहत 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल निकायों की पहली गणना की है। यह गणना जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में चिह्नित नोडल विभागों के माध्यम से की गई थी।

(ख): जल निकायों की प्रथम गणना की रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में 1,90,777 जल निकाय हैं।

(ग) : जल निकायों की प्रथम गणना की रिपोर्ट के अनुसार 3920 जल निकायों पर अतिक्रमण किया गया है।

(घ) : जल निकायों पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पर कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।

हालांकि, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, स्थानीय आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास और सतत जल सुरक्षा के लिए, जल निकायों के महत्व के बारे में जागरूक करने के बारे में संवेदनशील बना रही है। जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे कि जल निकायों को भूमि अभिलेखों में शामिल करना और उन्हें नगर नियोजन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आदि करने के बारे में, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों को पत्र लिखे जा रहे हैं।

*****